कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(1)2024/कार्मिक/प्रमुवस/ दिनांक

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि प्रायः विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों, विशेषकर फील्ड में पदस्थापित अधिकारियों/कार्मिकों के द्वारा उनके मोबाईल फोन पर आने वाले फोन कॉल्स को उठाया नहीं/उत्तर नहीं दिया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय वन मंत्री महोदय द्वारा भी अवगत कराया गया है कि उन्हें जन प्रतिनिधियों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा मोबाईल फोन न उठाने/उत्तर न देने की प्रवृत्ति न केवल एक लोकसेवक के रूप में अशोभनीय आचरण है अपितु लोकसेवा की मूल भावना के भी विरूद्ध है। आज के इस आधुनिक युग में, जहां एक त्वरित संचार प्रक्रिया मानवीय अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है, नीति निर्धारकों/नागरिकों की न्यूनतम अपेक्षा है कि लोकसेवकों के स्तर पर संचार के समस्त माध्यम हर समय उपलब्ध/अनुक्रम होने चाहिए।

अतः एतद् द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उनके राजकीय दूरभाष/मोबाईल पर प्राप्त होने वाले प्रत्येक कॉल का उत्तर देना सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थितियों में किसी समय विशेष पर किसी विभागीय अधिकारी/कार्मिक के राजकीय बैठक या अन्य किसी राजकार्य में व्यस्त होने के कारण फोन कॉल का तत्काल उत्तर देना सम्भव न होने की स्थिति में उक्त राजकीय बैठक/राजकार्य से मुक्त होने के तत्काल पश्चात् सम्बन्धित लोकसेवक द्वारा ऐसे फोन कॉल का उत्तर दिया जायेगा। इसके साथ ही समस्त विभागीय अधिकारियों द्वारा माननीय संसद सदस्यों/माननीय विधायकों के दूरभाष/मोबाईल नम्बरों को अपने मोबाईल फोन के दूरभाष निर्देशिका में संधारित करना अपेक्षित है।

इस आदेश के जारी होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(1)2024/कार्मिक/प्रमुवस/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त वनाधिकारीगण।
2. उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5375482

Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2024.01.19 16:45:07 IST
Reason: Approved